बिहार विधान सभा

तृतीय सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

[ग्रामीण विकास विभाग - ग्रामीण कार्य विभाग - पंचायती राज विभाग - जल संसाधन विभाग - लघु जल संसाधन विभाग - पथ निर्माण विभाग - भवन निर्माण विभाग - श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग].

कुल अल्पसूचित प्रश्न 13

सड़क का निर्माण

*16 **श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह (16) (कल्याणपुर):**

ग्रामीण कार्य विभाग :-

क्या मंत्री,ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि ग्रामीण कार्य विभाग के संकल्प संचिका संख्या मु0आ0-4(मु0) विविध कार्य 06-101/2023 के क्रम संख्या-8 पर सम्पूर्ण बिहार राज्य के लिए यह निर्णय लिया है की प्रखंडवार/ अनुमंडलवार पथो का पैकेज तैयार कर निविदा के माध्यम से कार्य सम्पन्न कराया जाएगा;

2. क्या यह बात सही है कि सम्पूर्ण राज्य में पूर्व के वर्ष 2024-25 में उक्त संकल्प के अन्तर्गत पैकेज की व्यवस्था अपनायी गयी तथा कई पथों को मिलाकर बड़ा-बड़ा पैकेज बनाकर निविदा किया गया लेकिन सम्पूर्ण राज्य में एक भी बड़े पैकेज का कार्य निर्धारित समय सिमा के तहत सम्पन्न नहीं हो पाया है;

3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार छोटा-छोटा पैकेज बनाकर निविदा की प्रक्रिया पूर्णकरा कर ससमय एवं गुणवता पूर्ण सड़कों के निर्माण कार्य को पूर्ण कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?

पुनः निविदा निकालना

*17 **श्री देवेशकान्त सिंह (111) (गोरेयाकोठी):**

ग्रामीण कार्य विभाग क्या मंत्री , ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क (अवशेष, सामान्य, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति) योजनान्तर्गत सिवान जिला के महाराजगंज कार्यप्रमण्डल के अधीन लिलारू औरंगाबाद पी.एम.जी.एस.वाई. रोड से जुमनछपरा एवं जामो नहरपुल से मठिया सहित छपरा, गोपालगंज, पश्चिमी चम्पारण आदि जिलों में 200 सड़कों का एन.आई.टी के अधीन विभिन्न स्तरों पर अलग-अलग निविदा निष्पादन कर संवदेकों को 03.06.2025 को कार्य आंवटित किया गया था, राज्य के सभी 200 सड़कों के निविदाओं को सीएमबीडी के कंडिका-30.1 एवं एनआईटी की कंडिका-33 के आलोक में दिनांक - 30.04.2026 को अपरिहार्य कारण बताकर निविदा रद्ध कर दिया गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त सभी जिलों में रद्ध हुए निविदाओं को पुनः निविदा निकालकर सड़कों का निर्माण कार्य कबतक प्रारंभ कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों?

स्ट्रीट लाईट लगाना

*18 **श्री श्याम रजक (188) (फुलवारी (अ० जा०)):**

पंचायती राज विभाग :-

स्थानीय दैनिक समाचार पत्र के दिनांक 09/01/2026 के अंक में प्रकाशित " गाँवों में 2.50 लाख स्ट्रीट लाईट लगना बाकी " शीर्षक के आलोक में क्या मंत्री, पंचायती राज विभाग, यह बतलाने की कृपा करेगें कि:-

1. क्या यह बात सही है कि सात निश्चय-2 योजना के तहत राज्य के सभी 45 हजार गाँवों के सवा लाख वाडों में सोलर स्ट्रीट लाईटें नही लग पाई है,

2. क्या यह बात सही है कि पुरे राज्य में 11.5 लाख सोलर स्ट्रीट के विरुद्ध अब तक 8.90 लाख लगाई गयी है, जबकि इस योजना हेतु अगस्त 2025 तक की समय निर्धारित थी;

3. यदि उपर्युक्त खंडो के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार प्रखंड फुलवारी शरीफ, पुनपुन एवं राज्य के शेष गांवों में इस वर्ष स्ट्रीट लाईट लगाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों?

योजनओं की स्वीकृति

*19 **श्री अरुण कुमार (180) (बख्तियारपुर):**

ग्रामीण कार्य विभाग क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु निर्माण योजना मुख्यमंत्री ग्रामीण संपर्क योजना अंतर्गत पटना जिलान्तर्गत बख्तियारपुर, खुसरूपुर, दनियावां सहित राज्य के अन्य प्रखंडों में विगत 3 वर्षों से सड़क का निर्माण एवं सुद्दीकरण योजना की स्वीकृति की गई जिसमे संवेदकों एवं विभागीय पदाधिकारी की लापरवाही, शिथिलता एवं गुणवत्तापूर्ण सड़क का निर्माण नहीं किया जा रहा है और सड़क निर्माण की समय सीमा समाप्त होने के

बावजूद भी सड़क निर्माण कार्य सब समय नहीं हो रहा है यदि हो तो सरकार सड़क निर्माण में हो रही गुणवत्ताहीन, पदाधिकारी की लापरवाही एवं राशि की मिलीभगत हो रही हैं, की कार्रवाई कब तक करने का विचार रखती है नहीं तो क्यों ?

सड़क का निर्माण

*20 **श्री प्रमोद कुमार (19) (मोतिहारी):**

ग्रामीण कार्य विभाग :-

क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के मोतिहारी विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत पटखौलिया, सुरहॉ, मठिया, झखड़ा सहित एक सौ सड़क मरम्मति एव पुनः सड़कों के निर्माण की निविदा जून, जुलाई एवं अगस्त 2025 में हुआ । जिस के निर्माण के शिलापट भी लग गये परन्तु निर्माण कार्य शिथिल होने से आमजन के आने-जाने में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार निविदा युक्त या गरांटी अवधि या निविदा की प्रक्रिया की मोतिहारी सहित राज्य भर की ग्रामीण कार्य विभाग की सड़कों को बरसात एवं आने वाले त्योहार को ध्यान में रखकर मोटेबूल कराने की विचार रखती है, नहीं, तो क्यों?

राशि का भुगतान

*21 **श्री भाई बिरेंद्र (187) (मनेर):**

ग्रामीण कार्य विभाग क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः- क्या यह बात सही है कि पूरे राज्य के 108 कार्य डिवीजन में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण प्रबंधन कार्यक्रम (RRSMP) एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क अवशेष योजनाओं का सड़क निर्माण का कार्य 70 प्रतिशत से अधिक या कम कराने के उपरान्त विगत 9 माह से राज्य सरकार द्वारा राशि उपलब्ध नही कराये जाने से संवेदकों को राशि का भुगतान नहीं किये जाने से राज्यभर की सड़के आधी-अधूरी रहने से आमजनों का आवागमन में कठिनाई के साथ ही संवेदकों का आर्थिक हालात दयनीय हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार कब तक राज्य के 108 डिवीजनों में उक्त वर्णित योजनाओं में राशि उपलब्ध कराने के साथ ही संवेदकों को राशि का भुगतान करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?

व्यावसायिक वाहनों से अतिरिक्त टोल वसूलने के संबंध में।

*22 **श्री आलोक कुमार मेहता (134) (उजियारपुर):**

पथ निर्माण विभाग :-

क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा राज्य उच्च मार्गों पर चलने वाले व्यावसायिक वाहनों से अतिरिक्त टोल शुल्क वसूलने की घोषणा की गई है;

2. क्या यह बात सही है कि व्यावसायिक वाहनों के पंजीकरण के समय परिवहन विभाग द्वारा 15 वर्षों के लिए एकमुश्त मार्ग कर लिया जाता है;

3. यदि उपर्युक्त खंड (क) एवं (ख) के तथ्य सही हैं, तो क्या सरकार अतिरिक्त टोल शुल्क बसूलने की नीति में बदलाव करना चाहती है , नहीं तो क्यों ?

सड़क की मरम्मति

*23 **श्रीमती दीपा कुमारी** (227) (**इमामगंज (अ० जा०)**):

ग्रामीण कार्य विभाग :-

क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य के पलामू जिला से बालू एवं पत्थर लदे भारी वाहन (हाईवा) गयाजी जिला के डुमरिया प्रखण्ड के बेलाघाट-गोटीबाँध, कपसा-गोटीबाँध, आदि ग्रामीण कार्य विभाग की सड़क से प्रतिदिन अत्यधिक संख्या में गुजरती हैं, जिसके कारण इन ग्रामीण कार्य विभाग की सड़के आवागमन से क्षतिग्रस्त हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त ग्रामीण कार्य विभाग की सड़कों से बालू पत्थर लदे वाहनों के आवागमन पर रोक लगाने एवं क्षतिग्रस्त हो चुके सड़कों की मरम्मति कब तक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जल का प्रबंधन

*24 **श्री अमरेन्द्र कुमार** (219) (**गोह**):

जल संसाधन विभाग :-

स्थानीय दैनिक समाचार पत्र के दिनांक 07/07/2026 के अंक में प्रकाशित " मानसून के बीच राज्य की आधी नदियाँ पानी को तरसी " शीर्षक आलोक में क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में मोरहर, बटाने, दरधा, आदि 20 नदियाँ पूरी तरह सूख गयीं हैं और फल्गू, बाया, दुर्गावती, कर्मनाशा आदि नदियों में मापने लायक पानी भी नहीं है;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य में ठोस जल नीति लागू नहीं होने के कारण उपरोक्त नदियों में जल प्रबंधन की कमी है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार राज्य में ठोस जल नीति बनाकर राज्य के नदियों में जल प्रबंधन करने का विचार रखती है; हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?

बकाया राशि का भुगतान

*25 **श्री विजय कुमार खेमका** (62) (**पूर्णियाँ**):

ग्रामीण विकास विभाग :-

क्या मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-
1. क्या यह बात सही है कि राज्य में लाखों गरीब एवं आवासविहीन परिवार को आज भी पक्के मकान से वंचित हैं तथा प्रधानमंत्री आवास योजना एवं अन्य आवास योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया है ;
2. क्या यह बात सही है कि राज्य में वर्ष 2024-25 में 12 लाख 18 हजार 173 परिवारों को आवास स्वीकृत किया गया था, जिनमें से अब तक लगभग 11 लाख 56 हजार परिवारों को ही प्रथम किस्त प्राप्त हुई है;
3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त सभी गरीब आवासविहीन परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराने एवं द्वितीय, तृतीय किस्त से वंचित लाभुकों को बकाया राशि का भुगतान कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

सीमा बोर्ड लगाना

*26 **श्री आनन्द मिश्र (200) (बक्सर):**

ग्रामीण कार्य विभाग :-

क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि पूरे राज्य की ग्रामीण सड़कें हल्के और मध्यम वाहनों के भार मानक पर बनती हैं, परंतु NH का टोल टैक्स बचाने के लिए भारी व्यावसायिक ट्रकों एवं डंपरों द्वारा इन ग्रामीण पथों पर परिचालन किया जा रहा है;

2. क्या यह बात सही है कि ग्रामीण सड़कों को बचाने के लिए सारण, रोहतास और मुंगेर जैसे जिला प्रशासनों ने Height Gauges लगाने और भारी वाहनों को प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किए हैं, लेकिन यह व्यवस्था पूरे राज्य में एकसमान लागू नहीं है;

3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार IRC मानकों के अनुसार सभी ग्रामीण पथों पर 'हाइट गेज' व 'वजन सीमा बोर्ड' लगाने हेतु राज्य-स्तरीय SOP बनाकर लागू करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों?

मजदूर बोर्ड निर्माण

*27 **श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह (16) (कल्याणपुर):**

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग :-

क्या मंत्री, श्रम संसाधन एवं प्रवासी कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-
क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य में बिहार भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत निबंधित श्रमिकों के लिए दो पुत्री के विवाह के लिए 50-50 हजार रुपये सहित मातृत्व लाभ, पितृत्व लाभ सहित 16 प्रकार की योजनाओं का लाभ दिया जाता है; यदि हाँ, तो क्या सरकार खेती वारी में लगे कामगारों के लिए "खेतिहर मजदूर कल्याण बोर्ड" का गठन कर उससे जुड़े निबंधित मजदूरों को उक्त बोर्ड की तरह लाभ देने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?

कार्रवाई करना

*28 **श्री आनन्द मिश्र** (200) (**बक्सर**):

पंचायती राज विभाग स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित " सामुदायिक भवन पर अवैध कब्जा कर बना दिया भुसाघर" "बिहार में अब सरकारी भवन पर डाका" शीर्षक के आलोक में, क्या मंत्री, पंचायती राज विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-1. क्या यह बात सही है कि राज्य में निर्मित सामुदायिक भवन खंडहर और मवेशी बांधने के तबेले में तब्दील हो रहे हैं अथवा दबंगों द्वारा कब्जा कर लिया गया है;2. क्या यह बात सही है कि भू-माफियाओं द्वारा इन सामुदायिक भवनों की सरकारी जमीनों की फर्जी खरीद-बिक्री और नामांतरण किया जा रहा है ;3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य के सभी जिलों में अवस्थित सामुदायिक भवनों के भौतिक सत्यापन के लिए एक 'राज्य-स्तरीय विशेष टास्क फोर्स' का गठन करते हुए दोषी पंचायत प्रतिनिधियों व अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध विभागीय दंडात्मक कार्रवाई करने का विचार रखती है; हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?